

16/1/26

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्री
उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं।
अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः
पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 4/3/26 को पेश हो

4/3/26

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्री
उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं।
अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः
पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 4/3/26 को पेश हो

11/3/26

पत्रावली पेश हुई। अधीन कार्यवाही वावजूद सूचना अनु. 1/सू.
पत्रावली कार्यवाही अमल में लानी जाती है। वह एक
पत्रावली सूची गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 11/3/26 को
पेश हो।

17/3/26

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वेरोकार सरकार उप./
पत्रावली पत्रावली अस्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय
पृथक से लिखा जाकर शा. मि. किया गया। निर्णय की
एक प्रति तहसीलदार ताबेदा को पालनार्थ भेजी जाये।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से फग हो बाद
तामील तक्रमील नियमानुसार दारखत दफ्त हो।

Handwritten signature

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)
पीवसीन अधिकारी श्रीमती मनस्वी नरेश R.A.S

मिसल नं०

तारीख दायरा

तारीख फैसला

325/प्रा०पत्र/2025

03.02.2025

17.03.2026

राजस्थान सरकार जर्चे तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी

प्रार्थी

बनाम

ममता पत्नी सुरेश जाति लोधा निवासी लीलेडा चरणान

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता

अभिभाषक प्रार्थी - पेरोकार सरकार

अभिभाषक अप्रार्थी-

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम लीलेडा चरणान पटवार मण्डल ठीकरिया चरणान तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 651/615 रकबा 0.0324 हैक्टे किस्म बाराणी 3 भूमि खातेदार ममता पत्नी सुरेश जाति लोधा निवासी लीलेडा चरणान तहसील तालेडा जिला बून्दी के नाम भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का ठीकरिया चरणान अप्रार्थी द्वारा ग्राम लीलेडा चरणान पटवार मण्डल ठीकरिया चरणान तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 651/615 रकबा 0.0324 हैक्टे किस्म बाराणी 3 भूमि जो कि कृषि भूमि है पर अकृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि भूमि है जबकि अप्रार्थी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये उक्त भूमि को अकृषि उपयोग (दुकाने) संचालित किया जा रहा है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के विरुद्ध है। उक्त भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य मे सम्भव नहीं है। राज्य सरकार की ओर से जर्चे तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा कार्य व शर्ते भंग करने के कारण ग्राम लीलेडा चरणान पटवार मण्डल ठीकरिया चरणान की आराजी खसरा संख्या 651/615 रकबा 0.0324 हैक्टे किस्म बाराणी 3 भूमि सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जाराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्चे नोटिस तलब किया गया।

my

अप्रार्थी वाकजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी

गयी।


बहस पेटेकार सरकार एकपक्षीय सूनी गई। दौराने बहस पेटेकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर अकृषि कार्य किया जाकर कार्य व शर्त भंग करने के कारण ग्राम लीलेडा चारणान पटवार मण्डल ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 651/615 रकबा 0.0324 हेक्टे किस्म बाराणी 3 भूमि सिवायवक सरकार घोषित किया जावे तवा वेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जा राज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस उभयपक्ष सूने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अप्रार्थी द्वारा वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 651/615 रकबा 0.0324 हेक्टे किस्म बाराणी 3 ग्राम लीलेडा चारणान पटवार मण्डल ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि कार्य कर सातेदार कृषक ने कृषि जोत पर अहितकर कार्य एवं शर्त भंग का दोषी होना माना गया है किन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त कृषि जोत में कितने हिस्से पर किस प्रकार का अकृषि कार्य किया गया उक्त अकृषि कार्य हेतु स्थायी रूप से निर्माण कर अकृषि कार्य किया गया अथवा अस्थायी निर्माण किया गया है। साथ ही उक्त निर्माण कितने भूभाग पर व किस प्रकृति का है के सम्बन्ध में नाप चोक व अन्य विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने पर किन नियमों के तहत क्या कार्यवाही की गई का विवरण अथवा दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, ना ही तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व भू-स्वामी की हैसियत से कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न किया गया है अपूर्ण कार्यवाही के मध्यमजर न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अन्तिम निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपूर्ण दस्तावेज एवं स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार स्वयं के स्तर की वांछनीय कार्यवाही की जाकर पूर्ण दस्तावेजों व स्पष्ट रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(मजस्ट्री नरेश)
उपशाह अधिकारी
तालेडा